Circular No. 30/4/2018-GST

फाइल संख्या 354/1/2018-टीआरयू
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(कर अनुसंधान एकक)
*****

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 25 जनवरी, 2018

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान महानिदेशक/
मुख्य आयुक्त/महानिदेशक
प्रधान आयुक्त/आयुक्त
सभी जो सीबीईसी के अंतर्गत आते हैं ।

महोदया/महोदय,

विषय: भारतीय रेलवे को की जाने वाली आपूर्ति, जिसका अध्याय 86 से भिन्न अन्य किसी भी अध्याय में वर्गीकरण हो सकता है, से संबंधित स्पष्टीकरण ।

ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कुछ आपूर्तिकर्ता रेलवे को ऐसे मदों की आपूर्ति कर रहे हैं जिनका वर्गीकरण अध्याय 86 से भिन्न अन्य किसी अध्याय में होना चाहिए और उन पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाई जा रही है ।

2. इस मामले की जांच-परख की गई । अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के अनुसार, अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर (दर), 28 जून,2017के साथ पठित, अध्याय 86 के अंतर्गत वर्गीकृत वस्तुओं पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगती है और अनप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को वापस नहीं किया जाता है । अन्य किसी अध्याय में आने वाली वस्तुओं पर अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), 28 जून, 2017 या अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत यथाविनिर्दिष्ट दर से जीएसटी लगाई जाती है ।

3. 18 जनवरी, 2018 को हुई जीएसटी परिषद की 25वीं बैठक में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि भारतीय रेलवे को की जाने वाली विभिन्न आपूर्तियों पर लगाई जाने वाली जीएसटी के दर के बारे में एक स्पष्टीकरण जारी किया जाए ।

4. तद्नुसार एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि –

- रेलवे को आपूर्ति किए जाने वाली उन वस्तुओं पर जो कि अध्याय 86 के अंतर्गत आती हैं, 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगी और अनप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस नहीं किया जाएगा और
- अन्य वस्तुओं [जो कि अन्य अध्याय में आती है], पर सामान्यत: उस दर से जीएसटी लगेगी जो कि उपर्युक्त अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट हैं, चाहे इनकी आपूर्ति रेलवे को ही क्यों न की जा रही हो ।

भवदीय,

(महिपाल सिंह)
तकनीकी अधिकारी (टीआरयू)
ई-मेल: mahipal.singh1980@gov.in